सं० म०।बन्दो०-39।91 (खंड 1)—892

पशुपालन एवं मत्स्य विभाग

संकल्प

22 अप्रील 1991

विषय—राज्य के सभी नदियों से लगे कोल और ढाव की बंदोवस्ती नहीं कर इनमें परम्परागत मछुआरों को तात्कालिक प्रभाव से निःशुल्क शिकारमाही की अनुमति के सम्बंध में।

राज्य के सभी नदियों से लगे कोल और ढावों से मछली पकड़ने तथा जीरा संग्रह कार्य में लगे हजारों परम्परागत मछुआरों के व्यापक हित और राहत दिये जाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 26 मार्च 1991 की बैठक में निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी नदियों तथा नदियों से लगे कोल एवं ढाव को अब बंदोवस्त नहीं कर इनमें निःशुल्क शिकारमाही का अधिकार परम्परागत मछुआरों को दिया जाय, जो बहती नदियों के दोनों किनारों के अंचल की बस्तियों में रहते हैं। निःशुल्क शिकारमाही हेतु परम्परागत मछुआरों को पहचान-पत्र फोटो के साथ लागत शुल्क लेकर शिकारमाही का अधिकार क्षेत्र अंकित करते हुए निर्गत किया जाय। निःशुल्क का अधिकार केवल उन्हीं जलकरों में होगा जो या तो नदी के मुख्य धार हैं या नदी से लगे कोल या ढाव हों।

सरकार के उपर्युक्त निर्णय के आलोक में निःशुल्क शिकारमाही वाले जलकरों को परिभाषित किये जाने तथा इनकी पहचान और सूची बनाने का कार्य जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायगा। इस समिति का गठन निम्नांकित रूप में किया जाता है।

(1) अपर समाहर्त्ता, प्रभारी अंचल—अध्यक्ष।

सदस्यगण

(2) जिला सीमा के अंदर बहती नदी तथा कोल।ढाव के कार्यक्षेत्र में पड़नेवाले मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री।

(3) सम्बन्धित अंचलाधिकारी।

(4) जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी—सदस्य सचिव।

2. यह समिति यथाशीघ्र अपने जिला के ऊपर वर्णित जलकरों को निदिष्ट कर उनकी सूची प्रत्येक मामले में जलकर का सीमा दर्शाते हुए 15 दिन के अन्दर जिला समाहर्त्ता के माध्यम से विभाग को भेजेगा, जिससे इसके आधार पर राज्य के निःशुल्क शिकारमाही घोषित किये जाने वाले जलकरों को अधिसूचित किया जा सके। इसकी एक सूची राजस्व विभाग को भी दी जाय।

3. चूंकि निःशुल्क शिकारमाही का अधिकार केवल परम्परागत मछुआरों को ही दिये जाने का निर्णय है, इसलिए परिभाषित जलकरों में मछली मारने का अधिकार और पहचान-पत्र परम्परागत मछुआरों को फोटो के साथ अलागत रूल्क लेकर दिया जायगा। परिचय पत्र में निःशुल्क शिकारमाही की सीमा भी अंकित रहेगी। सक्षम परम्परागत मछुआरों का चयन आठ सबार किया जायगा, जिसका अंतिम चयन और संख्या न जिला मत्स्य पदाधिकारी का अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किये जाने के बाद ही पहचान-पत्र निर्गत किया जायगा। इस समिति का गठन निम्न रूप में किया जाता है

गठन निम्न रूप में किया जाता है--

(1) जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी--अध्यक्ष।

सदस्यगण

(2) जिला सहकारिता पदाधिकारी।

(3) सम्बन्धित अंचल के अंचलाधिकारी।

(4) सम्बन्धित अंचल के सहकारिता निरीक्षक।

(5) सम्बन्धित प्रखंड स्तर पर गठित मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री।

(6) सम्बन्धित अंचल के प्रभारी मत्स्य प्रसार पदाधिकारी--सदस्य सचिव।

सक्षम परम्परागत मछुआरों के चयन हेतु समिति की बैठक प्रत्येक अंचल के लिए अलग-अलग होगी और बैठक के पूर्व परम्परागत मछुआरों की सूची सम्बन्धित अंचल के जल मत्स्य जीवी सहयोग समितियों के मंत्री, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी।मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक द्वारा प्रत्येक गांव का विस्तृत सर्वेक्षण कर सूची बनायेंगे, जिसपर अन्तिम निर्णय जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा लेने के पश्चात पहचान पत्र जिला मत्स्य पदाधिकारी और जिला सहकारिता पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से निःशुल्क शिकारमाही हेतु अधिकार क्षेत्रांकित करते हुये निर्गत किया जायगा।

4. सक्षम परम्परागत मछुआरों को निःशुल्क शिकारमाही के साथ ही नदियों से अपने अधिकार क्षेत्र में जीरा पकड़ने का भी अधिकार रहेगा। परन्तु मत्स्य विभाग की आवश्यकता को निर्धारित दर पर पूरा किये जाने के बाद ही स्पौन राज्य के बाहर भेजा जा सकेगा। जीरा संग्रह के साथ समय सीमावर्ती राज्यों से जो मछुआरे आते हैं, उन्हें केवल जीरा पकड़ने का पट्टा और पहचान-पत्र सम्बन्धित मत्स्य-जीवी सहयोग समिति एवं सम्बन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी के माध्यम से शुल्क लेकर दिया जायगा और यह राशि सम्बन्धित समिति के खाते में जायगी सीमावर्ती प्रान्तों से आये इन मछुआरों को भी मत्स्य स्पौन का निर्यात राज्य के बाहर उसी हालत में करने का अधिकार रहेगा जब वे मत्स्य विभाग की आवश्यकता को निर्धारित दर पर पूरा कर दें भविष्य में भी मछलियों की उपलब्धि समान रूप से होते रहे, इसके लिए प्रजनन के समय प्रजनन योग्य मछलियों को मारने और बरसात के बाद अंगुलिकाओं को मारने और इसकी बिक्री पर भी पूर्णतः रोक रहेगी

5. निःशुल्क शिकारमाही के बाद आवश्यक सुविधायें सहयोग समितियों द्वारा सदस्यों को उपलब्ध करायी जा रही है या नहीं, या इनका शोषण अन्य पूंजीपति व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है या नहीं इसकी निगरानी के लिए जिला स्तर पर एक निगरानी समिति का भी गठन निम्न रूप में किया जाता है।

(1) जिला समाहर्ता—अध्यक्ष

(2) जिला के आरक्षी अधीक्षक—उपाध्यक्ष

सदस्यगण

(3) जिला सहकारिता पदाधिकारी

(4) सरकार द्वारा मनोनीत मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री

(5) जिला मत्स्य पदाधिकारी सहमुख्य कार्यपालक पदाधिकारी--सदस्य सचिव

इस जिलास्तरीय निगरानी समिति की बैठक कम-से-कम प्रत्येक तीन माह पर एकबार अवश्य हुआ करेगी जिसमें निःशुल्क शिकारमाही के कार्यान्वयन से सम्बन्धित उत्पन्न समस्याओं या मछुआरों के शोषण आदि की समीक्षा कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके।

6. राज्य स्तर पर भी समीक्षा हेतु राज्यस्तरीय निगरानी समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है—

(1) प्रभारी मंत्री, मत्स्य—अध्यक्ष।

सदस्यगण

(2) सचिव, गृह (विशेष) विभाग।
(3) सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग।
(4) सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
(5) सचिव, सहकारिता विभाग।
(6) राज्यस्तरीय मत्स्यजीवि सहकारी संघ के अध्यक्ष।
(7) निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना—सदस्य सचिव।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजपत्र के असाधारण अंक में तुरन्त प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग।सभी विभागाध्यक्ष।सभी प्रमंडलीय आयुक्त।सभी आरक्षी उप-महानिरीक्षक।सभी जिला समाहर्त्ता।उपायुक्त।सभी आरक्षी अधीक्षक।सभी अपर समाहर्त्ता।सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी।सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी।सभी अनुमंडलाधिकारी। सभी भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता तथा सभी अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० अरुमुगम,
सरकार के सचिव।